संख्या : 3012/XVII(1)/2004–347(स.क.)/2003

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग।

देहरादून, 07 जनवरी 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनश्री बीमा योजना के प्रीमियम हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत पारित धनराशियों में से उत्तरांचल में गरीबी रेखा से नीचे निवासरत परिवारों के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना के अधीन बीमा कम्पनी को प्रीमियम योजना से सम्बन्धित रूपये 376.502 लाख (रूपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार दो सौ मात्र) की धनराशि निम्नानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

2235–60–800–04

मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

उप–मुख्य शीर्षक : 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम।

लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय।

उप शीर्षक : 04–आदिम जनजाति आदि हेतु जनश्री बीमा योजना के अधीन बीमा कम्पनी को प्रीमियम।

(धनराशि रूपये लाख में)

मानक मद	आबंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	**376.502**

(रूपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार दो सौ मात्र)

2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

3. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
5. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
7. उक्त धनराशि के देयक शासनादेश संख्या–3428/स.क./2004–359/स.क./2003, दिनांक 28 फरवरी 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1267/XXVII(2)/2004, दिनांक 01 जनवरी 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 3012(1)/XVII(1)/2004–347(स.क.)/2003, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।